

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R. 2833/11/15..... जिला शीवा.....

स्थान तथा दिनांक	गुमताज बाना कार्यवाही तथा आदेश राजू	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4. 9-15	<p>प्रकरण में आवेदक आभं श्री वीरेन्द कुमार सिंह एवं बी. विगा उप। प्रकरण शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर सुना गया। प्रकृष्ट ग्राह्यता पर भी सुना गया।</p> <p>आवेदक आभं द्वारा एक प्रत्युक्ति जो निगलनी मेमो में अंकित है। आवेदक आभं के तर्कों एवं निगलनी मेमो में अंकित विदुमो पर विचार किया तथा प्रकरण में विवादित आदेश दिनांक 12-2-15 की प्रकृष्ट पत्रिका का अपलोड किया गया जिसके अनुसार प्रकरण में अभिलेख बुलाये जाने के आदेश के साथ प्रकृष्ट पंजीकृत किमे जाने के आदेश देते हुए प्रकृष्ट धारा 52 MPLRC एवं प्रकृष्ट की प्रचलन शीर्षक के अन्तर्गत आदेश हेतु उपस्थित किया गया। अधीनस्थ-माध्यम्य द्वारा प्रकरण में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। प्रकृष्ट पत्रिका दिनांक 12-2-15 में दिए गये आदेश से किसी भी पक्ष के व्यतीमान में दित्त अभावित हुए हैं। ऐसा पारित नहीं हो रहा है।</p> <p>उपरोक्त स्थितियों में प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त आधार नहीं है प्रकृष्ट अग्राह्य किया जाता है। पत्रिका प्रेषित है।</p> <p style="text-align: right;">A बदल</p>	